संख्या–1232/26–2–2011–एस0एन0डी0(145)/10

प्रेषक,

कमल किशोर श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2

लखनऊ:दिनांक 14 जुलाई, 2011

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वेक्षण/डाटा इण्ट्री/फार्म छपाई आदि के लिए जनपद स्तर पर लम्बित बिलों के भुगतान हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–10/सक/मु0मं0म0ग0आ0 म0यो0/2011–12, दिनांक 20.04.2011 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या–मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010–11 में किये गये सर्वेक्षण/डाटा इण्ट्री/फार्म छपाई आदि के लिए जनपद स्तर पर लम्बित बिलों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत आय–व्ययक में की गई बजट व्यवस्था रू0 540.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2.70 करोड़ में से रू0 1,76,15,000/– (रूपया एक करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रथम छः माह के लिए किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21.03.2011 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी योजना/मद पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में अन्य

5. योजना/मद पर पुर्नविनियोजित/व्यय नही किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 20.04.2011 के संलग्नक में दिये गये जनपदों की मॉग के अनुसार वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करते हुए आवंटित की जायेगी।

2. उपर्युक्त योजना में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्यय में अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–03–उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–1219/दस–2011, दिनांक 13 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या–1232(1)/26–2–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या–1232(1)/26–.2–2011–एस0एन0डी0(145)/10
लखनऊ:दिनांक 19 जुलाई, 2011

शुद्धि–पत्र

उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वेक्षण/डाटा इण्ट्री/फार्म छपाई आदि के लिए जनपद स्तर पर लम्बित बिलों के भुगतान हेतु रू0 1,76,15,000/–(रूपया एक करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) के धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–1232/26–2–2011–एस0एन0डी0(145)/10 दिनांक 14.07.2011 द्वारा निर्गत की गयी है। टंकण की त्रुटिवश इस शासनादेश के प्रस्तर–1 की पंक्ति–2 में **शासनादेश की संख्या** छूट गया है तथा पंक्ति संख्या–8 में **रू0 2.70 करोड़** का उल्लेख हो गया है एवं शर्त संख्या–1 में **"उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रथम छः माह के लिए किया जायेगा।" का उल्लेख हो गया है।**

उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–1232/26–2–2011–एस0एन0डी0(145)/10 दिनांक 14.07.2011 के प्रस्तर–1 पंक्ति संख्या–2 में शासनादेश संख्या–1050ए/26–2–2011–एस0एन0डी0(145)/10 दिनांक 18.04.2011 तथा पंक्ति संख्या–8 में रूपया 2.70 करोड़ के स्थान पर रूपया 270.00 करोड़ (रू0 दो अरब सत्तर करोड़ मात्र) पढ़ा जाय, तथा शर्त सं0–1 में **"उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रथम छः माह के लिए किया जायेगा।" को विलुप्त समझा जाय।**

उक्त शासनादेश संख्या–1232/26–.2–2011–एस0एन0डी0(145)/10 दिनांक 14.07.2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या–1232(2)/26–02–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
4. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वितत (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
8. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव